

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- कृष्ण सिंह (RTS)

मिसल नम्बर :- 107 / 2019

सरकार

बनाम

टेकचन्द पुत्र नन्दराम जाति ब्राह्मण निवासी खरखड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू  
राज0

.....गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट-1956)

दिनांक :- 31-10-2019

—: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल हाजिर नहीं। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का खरखड़ा के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि राजस्व ग्राम खरखड़ा स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1577 / 1250 रकबा 3.27 हेक्टेयर किस्म बंजड़-2 के रकबा 0.15 हेक्टेयर पर गैर सायल हवासिंह ने फसल बाजरा काश्त करके अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है जिसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। गैर सायल का नोटिस सम्यक रूप से बाद तामिल प्राप्त बावजूद इसके अनुपस्थित। अतः गैर सायल के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का खरखड़ा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल ने राजस्व ग्राम खरखड़ा स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1577 / 1250 रकबा 3.27 हेक्टेयर किस्म बंजड़-2 के रकबा 0.15 हेक्टेयर पर फसल बाजरा काश्त करके अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अतः पटवारी हल्का खरखड़ा की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।



तहसीलदार खेतड़ी  
जिला झुंझुनू (राज)

हस्ताक्षर

मिसल नम्बर 107/2019  
निर्णय दिनांक 31-10-2019

—: आदेश :-

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का खरखड़ा के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजस्व ग्राम खरखड़ा स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1577/1250 रकबा 3.27 हेक्टेयर किस्म बंजड़-2 के रकबा 0.15 हेक्टेयर पर से बेदखल किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 0.10 रुपये का 50 गुणा = 05/- रुपये तावान कायम व वसूली का व फसल बाजरा को राजहक में जप्त कर निलाम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का खरखड़ा से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की प्रश्नगत भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31-10-2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(कृष्ण सिंह)  
तहसीलदार खैतड़ी  
तहसीलदार खैतड़ी  
जिला सुन्धुनू (राज)